प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 15.11.2025

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान लूट/स्नैचिंग की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 02 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चोरी की स्कूटी व एक आईफोन,एक वीवोफोन बरामद।

दिनांक 14.11.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत रूटीन चेकिंग में टीम बनाकर यूपी गेट से आने वाले और सीमान्त विहार जाने वाली रोड पर संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की सघन चेकिंग की जा रही थी। उसी क्रम में एक काले रंग की एनटार्क स्कूटी आती हुई दिखाई दी। जिसे मौजूद पुलिस टीम द्वारा रोककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन स्कूटी चालक के द्वारा स्कूटी को ना रोकते हुए एकदम दाहिनी तरफ मुड़कर नर्सरी के पीछे कच्चे रास्ते पर भागने लगा । जिसके क्रम में पुलिस टीम द्वारा स्कूटी का पीछा किया गया । आगे जाकर स्कूटी अनियंत्रित होकर गड्ढे में फिसल कर गिर गई तथा बदमाश ने भागते हुए अपने आप को घिरता हुआ देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी । पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में बदमाश के पैर में गोली लगी । तत्काल ही उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा साहस का परिचय देते हुए बदमाश को हिरासत में ले लिया गया । पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम फैसल उर्फ फैजान उर्फ सलमान पुत्र जावेद निवासी सी 06/11 गली नं0 1 चौहान बागर जाफराबाद थाना सीलमपुर दिल्ली हाल निवासी टी 239/1 गली नं0-4 गौतमपुरी न्युउस्मानपुर दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष बताया । जिनके कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर , 02 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त चोरी की स्कूटी ,एक आईफोन,एक वीवोफोन बरामद किया गया । पुलिस टीम द्वारा घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त गाजियाबाद व एनसीआर क्षेत्र में लूट/स्नैचिंग व चोरी की घटना कारित करता है । दिनांक 02 नवम्बर को थाना क्षेत्र कौशाम्बी में हुई मोबाइल चोरी की घटना कारित की गई थी तथा अभियुक्त के कब्जे से बरामद चोरी की स्कूटी जो कि दिनांक 15.09.25 को शकरपुर दिल्ली से चोरी होना पाया गया । गिरफ्तार अभियुक्त से अन्य जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

फैसल उर्फ फैजान उर्फ सलमान पुत्र जावेद निवासी सी 06/11 गली नं0 1 चौहान बागर जाफराबाद थाना सीलमपुर दिल्ली हाल निवासी टी 239/1 गली नं0-4 गौतमपुरी न्युउस्मानपुर दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चोरी की स्कूटी,एक आईफोन,एक वीवोफोन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त फैसल उर्फ फैजान उर्फ सलमान उपरोक्त के विरुद्ध गाजियाबाद एनसीआर क्षेत्र में लूट, स्नैचिंग आदि से सम्बन्धित लगभग दो दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

दिनांक 15.11.2025 को कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड में लूट/स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार तथा उनके कब्जे से 02 तंमचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस 315 बोर व चैन के दो टुकड़ा पीली धातु व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल स्पलेण्डर बरामद।

घटना का विवरणः-

दिनांक 26.10.2025 को वादी श्री नवनीत कुमार प्रभाकर पुत्र श्री उदयवीर सिंह निवासी म0नं0 269 गोविन्दपुरम ने मोटर साईकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की चैन झपट कर भाग जाने, दिनांक 30.10.25 को वादी श्री ब्रह्म सिंह पुत्र श्री भूप सिंह निवासी G 35 गोविन्दपुरम गाजियाबाद ने अज्ञात चोर द्वारा वादी का मोबाइल फोन छीन कर भाग जाने तथा दिनांक 05.11.2025 को वादिया श्रीमति प्रतिभा मिश्रा सहगल निवासी आर 14/194 सी राजनगर गाजियाबाद नें 02 व्यक्ति अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिया के गले से सोने की चेन खींचकर भाग जाने के संबंध में थाना कविनगर पर तहरीर दी जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरणः-

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान इलैक्ट्रोनिक साक्ष्यो (सीडीआर /सीसीटीवी फुटेज) व मैनुअल इन्टैलीजेन्स व मैनुअल मुखबिर के आधार पर दिनांक 15.11.2025 को गोविन्दपुरम टंकी के पास चौकी गोविन्दपुरम चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण द्वारा पुलिस फोर्स पर फायरिंग की गयी, पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी जिसमें अभियुक्त दिनेश उर्फ राहुल उर्फ मोनू पुत्र राजेश निवासी दौलतपुरा थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष घायल हो गया। घायल को उपचार हेतु संयुक्त जिला चिकित्सालय संजय नगर गाजियाबाद भेजा गया है। तथा अभियुक्त

पंकज पुत्र राजेश निवासी दौलतपुरा थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगणों से पूछताछ की गयी तो पूछने पर बताया कि मैने अपने दोस्त दिनेश के साथ मिलकर 05-06 दिन पहले हमने संजयनगर अस्पताल यूटर्न के आगे एक महिला जो सुबह के समय अपने बच्चे के साथ साइकिल से जा रही थी हम दोनो ने बाईक से उसके गले से चैन खीच ली थी तथा करीब 15 -16 दिन पहले सुबह लगभग 08.00 बजे गोविन्दपुरम में रोड पर घूम रहे एक व्यक्ति के गले से झपट्टा मारकर चैन छीनी थी और भाग गये थे उसका एक टुकड़ा मैने पहले राह चलते व्यक्ति को कम दामो में बेच दिया था तथा पैसो को खर्च कर दिया था तथा यह मोबाईल हम दोनो ने थाना कविनगर व कमि0 गाजियाबाद में अन्य अलग-अलग जगहों से राह चलते लोगो से छीना है हम लोग का एक गैग हैं हम सभी लोग मिलकर घटना करते हैं। दिनांक 11.11.2025 को हमारे गैंग के 5 सदस्यों को पूर्व में ही पकड़ कर जेल भेजे जा चुके हैं। जिस वजह से हम छुपते फिर रहे थे। आज लूट में मिले चैन को बेचने व कोई और घटना करने के लिये जब पानी की टंकी के पास गोविन्दपुरम क्षेत्र में जा रहे थे कि पुलिस बल को देखकर खबरा गये और फायरिंग कर दी।

बरामदगी-

- 02 तंमचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस
- 02 खोखा कारतूस 315 बोर
- चैन के दो टुकड़ा पीली धातु
- घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल स्पलेण्डर

अभियुक्त का नाम पता-

1. दिनेश उर्फ राहुल उर्फ मोनू पुत्र राजेश निवासी दौलतपुरा थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष
2. पंकज पुत्र राजेश निवासी दौलतपुरा थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. **दिनेश उर्फ राहुल उर्फ मोनू पुत्र राजेश**
   कमि0 गाजियाबाद में लूट/ स्नैचिंक के 7 मुकदमें पंजीकृत

2. **पंकज पुत्र राजेश**
   कमि0 गाजियाबाद में लूट/ स्नैचिंक के 3 मुकदमें पंजीकृत

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम कमि0 गाजियाबाद

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.10.2025 को थाना मुरादनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1. रजनीश त्यागी पुत्र संजीव त्यागी 2. कुसुम पत्नी संजीव त्यागी 3.संजीव त्यागी 4. रजनीश के मामा राजू 5. शिवम पुत्र संजीव 6. रजनीश की पूर्व पत्नी पूजा त्यागी निवासीगण प्रधान घर खडखडी हापुड द्वारा योजनाबद्ध तरीके से षडयन्त्र रचकर रूपये ऐंठने के उद्देश्य से पूर्व में किये गये पूजा त्यागी से विवाह को छुपाते हुये धोखाधडी व बेईमानी पूर्वक छल से वादिया से शादी करना एवं दहेज में 50 लाख रूपये की मांग करना एवं जान से मारने की धमकी देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा-85/115(2)/61(2)/318(4)/82(1)/351(3) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचना से साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-82(1) बीएनएस को लोप किया गया तथा धारा 82(2)/91 बीएनएस की वृद्धि की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 15.11.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रजनीश त्यागी पुत्र संजीव त्यागी निवासी प्रधान घर खडखड़ी थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ उम्र करीब 33 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने पहली पत्नी से 2021 में कोर्ट मैरिज की थी, दहेज के पैसे के लालच में मैने पीडिता से धोखे से दूसरी शादी की थी, जो मेरे द्वारा प्रैग्नेंट थी। जब पीडिता को मेरी पहली शादी के बारे में पता चला तो पीडिता ने इसका विरोध किया, जिस कारण मैंने उसके साथ मारपीट की थी, जिसमे उसके पेट में चोट लग गयी थी, इस कारण उसके पेट में पल रहा मेरा बच्चा मर गया।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता –

रजनीश त्यागी पुत्र संजीव त्यागी निवासी प्रधान घर खडखड़ी थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ उम्र करीब 33 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैंकिग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 140 पव्वे हरियाणा मार्का अवैध शराब बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 14/15.11.2025 की रात्रि को थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. राजेश सैनी पुत्र राम स्वरुप सैनी निवासी

मकान नं0 बी **50** गली नं**0 08** न्यू मोर्डन शाहदरा थाना शाहदरा दिल्ली उम्र करीब **38** वर्ष 02. अभिषेक कश्यप पुत्र ऱाधे श्याम कश्यप निवासी सी-**2/113** जगतपुरी मण्डोली रोड शाहदरा थाना जी टी बी एन्कलेव दिल्ली उम्र करीब **26** वर्ष को डीएवी कट के पास शालीमार गार्डन से 140 पव्वे हरियाणा मार्का अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 60(1),63 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार दोनो अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तगण के पास से बरामद अवैध शराब अभियुक्तगण हरियाणा राज्य से कम दामों में लाकर उत्तरप्रदेश में अधिक दामों में रात में आने जाने वाले नशा करने वाले लोगों को बेचते है तथा मुनाफा कमाकर आपस में दोनो आधा-आधा बाट लेते है। जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करते है। दोनों अभियुक्त अवैध शराब बेचने की फिराक में थे कि पुलिस ने चैकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. राजेश सैनी पुत्र राम स्वरुप सैनी निवासी मकान नं0 बी **50** गली नं**0 08** न्यू मोर्डन शाहदरा थाना शाहदरा दिल्ली उम्र करीब **38** वर्ष।
2. अभिषेक कश्यप पुत्र ऱाधे श्याम कश्यप निवासी सी-**2/113** जगतपुरी मण्डोली रोड शाहदरा थाना जी टी बी एन्कलेव दिल्ली उम्र करीब **26** वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- 140 पव्वे हरियाणा मार्का अवैध शराब बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना शालीमार गार्डन पर 01 अभियोग अवैध शराब बरामदगी के सबंध में पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।